

न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।

जी०आर०सं०-६३९/२०२०

दाउदनगर थाना कांड संख्या-२१८/२०२०

०३.०२.२०२१ आवेदक र्कार्पियो वाहन निवंधन संख्या-BR26PA6668 के स्वामी मधु लता कुमारी की ओर से दिनांक-०१.१२.२०२० को दाखिल आवेदन को संचालित करने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते हैं कि उक्त वाहन को इस वाद में जप्त किया गया है। अतः आवेदक के पक्ष में मुक्त किया जाय।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाद के अनुसंधानक को निर्देश दिया गया था कि यदि उक्त वाहन को जप्त किया गया है तो जप्ती सूची दिनांक-२८.०१.२०२१ तक समर्पित करें, लेकिन अनुसंधानक के द्वारा न्यायालय का आदेश का पालन नहीं किया गया है। अतः **स्मारित** करते हुए अनुसंधानक को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक-११.०२.२०२१ तक उक्त आदेश का पालन करें। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति सम्बन्धित थाना प्रभारी को भेंजे।

प्र० अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।